UPEW010020322026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी(पी.ए.)एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं.2, इटावा।

दाण्डिक प्रकीर्ण संख्या 156/2026

राज्य प्रति सुरेन्द्र यादव उर्फ बाला उर्फ शिवेन्द्र यादव आदि।

अ.सं.63/2025
विशेष वाद संख्या 847/2025
धारा 61(2). 326, 351(2), 140(1), 103(1), 238 बी.एन.एस. व धारा 3(1)(r)(s), 3 (2)v, 3(2)va एस.सी./एस.टी(पी.ए.)एक्ट।
थाना सिविल लाइन, जनपद इटावा।

18.04.2026 **आदेश**

प्रार्थी कुलदीप कुमार पुत्र महेशचन्द्र, निवासी सुल्तानपुर कलां, थाना फ्रेण्डस कालोनी, जिला इटावा की ओर से कार वाहन संख्या UP75AP-4905(चेसिस नम्बर MAT629228NKK95223 एवं इंजन नम्बर REVTRN08KXXKD6300) को सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वह उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। उक्त वाहन को मुकदमें के अभियुक्त सुरेन्द्र यादव उर्फ बाला उर्फ शिवेन्द्र यादव से गिरफ्तारी के समय बरामद कर थाना हाजा पर खड़ा कर लिया गया था। सुरेन्द्र यादव उर्फ बाला उर्फ शिवेन्द्र यादव, प्रार्थी का दोस्त है और वह प्रार्थी से उसकी कार मांग कर ले गया था जिस कारण प्रार्थी का वाहन थाना हाजा में निरुद्ध है। वाहन का थाना परिसर में खड़ा रहने से अत्यधिक हानि हो रही है तथा वाहन खुले आसमान के नीचे खड़ा है जिससे उसके कल, पुर्जों में खराबी आने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थना की गयी है कि उक्त वाहन प्रार्थी के पक्ष में अवमुक्त किया जाये।

अभियोजन की ओर से प्रार्थना पत्र का कोई विरोध नहीं किया गया है।

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.04.18 17:51:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सुना तथा सुसंगत प्रपत्रों एवं थाने से प्राप्त आख्या का परिशीलन किया।

प्रार्थी की ओर से वाहन से सम्बन्धित कागजात में पंजीयन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार प्रार्थी उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार वाहन उपरोक्त का इंजन नम्बर एवं चेसिस नम्बर पंजीयन प्रमाण पत्र से मेल खाते है।

आवेदक के अनुसार वह उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है और उपरोक्त वाहन थाने में खुले में असुरक्षित खड़ा है और उसके खराब होने की संभावना है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **1– सुन्दरभाई अम्बा लाल देसाई बनाम गुजरात राज्य 2003(3)JIC पेज 615 SC, 2– मनोज कुमार बनाम उ०प्र० राज्य 2012(I) JIC 13** में पारित निर्णय के अनुक्रम में वाहन को उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुदर्गी में दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार प्रकरण के उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त वाहन पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में निम्न शर्तों के अधीन निर्मुक्त किया जाता है–

1– आवेदक 10,00,000/–रूपये(दस लाख रुपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समराशि की एक प्रतिभू दाखिल करेगा।

2– आवेदक प्रश्नगत वाहन को न्यायालय या किसी प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा मंगाये जाने पर अपने व्यय व जोखिम पर प्रस्तुत करेगा ।

3– आवेदक प्रश्नगत वाहन के रंग, रूप व आकार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेगा न ही वाहन को अन्तरित/बिक्रय करेगा, न ही खुर्दबुर्द करेगा, न ही बन्धक रखेगा। आवेदक प्रश्नगत वाहन से सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों की दो–दो प्रतियां न्यायालय में प्रस्तुत करेगा ।

थानाध्यक्ष, थाना सिविल लाइन(इटावा) को निर्देशित किया जाता है कि यदि उक्त वाहन अन्य किसी अपराध में निरुद्ध न हो तो, नियमानुसार उक्त वाहन को पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में देना सुनिश्चित करें।

(संजय कुमार IV)
जे. ओ कोड यू०पी०–6462
विशेष न्यायाधीश एस.सी.एस.टी(पी०ए०)एक्ट,इटावा।
18.04.2026